DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

MEDICAL REIMBURSEMENT POLICY

Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)

(A Central University)

Minutes of 31st Meeting of Academic Program Committee (APC)

1:31:(16): With the permission of the Chair, Prof. H. Thomas, Director, Research and Development (DoRD) presented the following policy documents for consideration by APC:-

1. Policy on Internal Complaints Committee.
2. Policy on Environment and Sustainable Development.
3. Policy on Academic Audit.
4. Policy on Advance Learners and Slow Learners.
5. Innovations & Start-Up Policy (GISP)
6. University IT Policy.
7. Policy for Maintaining and Utilization Physical, Academic and Support Facilities.
8. Library Policy.
9. Scholarship Policy.
10. HR Policy.
11. E-Governance Policy.
12. Group Health Insurance Policy.
13. In-Campus House/Flat Allotment Policy.
14. TA & DA Policy.
15. Non-Teaching Staff Appraisal Policy.
16. Finance Policy.
17. Code of Conduct and Ethics Policy.
18. NCC Policy.
19. NSS Policy.
20. Health Care Facilities and Sanitation Policy.
21. Outreach Program Policy.
22. Student Cultural Policy.
23. Water Conservation Policy.
24. NEP-2020 Implementation Policy.
25. Sports Policy.
26. Anti Ragging Policy.
27. Rajbhasha Policy.
28. Credit Bank Transfer Policy.
29. Examination Policy.
30. Training and Placement Policy.

Resolution:- The APC after due deliberations resolved to approve the aforesaid policies.

(Action:DoAA, DoRD, CoE, FO, All the Deans of Schools & HoDs)

The Meeting ended with vote of thanks to the Chair.

Satish Kumar
Deputy Registrar
Academic Affairs &
Secretary, APC

संचालक (अनु. एवं विकास)
Director (R & D)
...सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर
...S.Gour Central University,Sagar

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति

MEDICAL REIMBURSEMENT POLICY

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम

CS (MA) RULES

(GoI)

निदेशक (अनु. एवं विकास)
Director (R & D)
डॉ.हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,सागर
Dr.H.S.Gour Central University,Sagar

सागर – 470003 (म.प्र.)

SAGAR – 470003 (M.P.)

Prof. Devashish Bose
Digitally signed by Prof. Devashish Bose
Date: 2023.05.05 13:07:21 +05'30'

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति

MEDICAL REIMBURSEMENT POLICY

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम

CS (MA) RULES

(GoI)

सागर – 470003 (म.प्र.)

SAGAR – 470003 (M.P.)

Prof. Devashish Bose

Digitally signed by Prof. Devashish Bose
Date: 2023.05.05 13:07:21 +05'30'

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

क्रमांक : वित्त/लेखा/2010/554

दिनांक : 28/12/2010

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु भारत शासन द्वारा अधिसूचित "केन्द्रीय सेवा (मेडीकल अटेन्डेन्स) नियम 1944" विश्वविद्यालय में दिनांक 01 सितम्बर 2010 से लागू हैं, जिनके आलोक में ही चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

सभी कर्मचारि[illegible] को यह निर्देशित किया जाना है कि वे उक्त नियमों का अनुपालन कर संबंधित चिकित्सा व्यय के देयक उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही पूर्ण विवरण के साथ नियमानुसार फार्म-'ए' [illegible] फार्म-**'बी'** में भर कर श्री अजित नामदेव, अधीक्षक [illegible] अनुभाग के पास [illegible] भुगतान हेतु जमा करें। उक्त फार्म, केशमेमो तथा रसीदों पर संबंधित सरकारी चिकित्सक के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। उक्त दोनों फार्म प्राप्त करने के लिये श्री अजित नामदेव, अधीक्षक, बजट शाखा से संपर्क किया जा सकता है या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त फार्म की [illegible] है।

आदेशानुसार

[illegible]

(कुलसचिव)
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि.

प्रतिलिपि–

1. समस्त प्रशासनिक अधिष्ठाता – उनके कार्यालय में सूचित किये जाने हेतु।
2. समस्त अकादमिक अधिष्ठाता – उनके अधीन विभागों में सूचित किये जाने हेतु।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक – उनके कार्यालय में सूचित किये जाने हेतु।
4. समस्त उप-कुलसचिव/सहा.कुलसचिव/प्रभारी/अनु.अधिकारी/अधीक्षक – उनके कार्यालय में सूचित किये जाने हेतु।
5. कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
7. वेब सेल – वेबसाइट पर फार्मों को उपलोड करने हेतु।
8. समस्त कर्मचारी।
9. विश्वविद्यालय नोटिसबोर्ड।

(सहा. कुलसचिव)
वित्त एवं लेखा

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर– 470003 (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR – 470003 (M.P.)
(A Central University)

कुलसचिव
REGISTRAR

registraroffice@dhsgsu.ac.in
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) 07582 – 265228
(Fax) 07582 - 264236

क्र. कुल.कार्या. / 2018 / 3931

दिनांक : 23.03.2018
03.04.

अधिसूचना

चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था पर कैग की आपत्ति के निराकरण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट स्वीकारने के परिणामस्वरूप सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 23.03.2018 के आगे से कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के गैर–मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों / डॉक्टरों(आपातकालीन / अपवाद मामलों को छोड़कर) में इलाज के प्रतिपूर्ति दावों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल(आपातकालीन / अपवाद मामलों को छोड़कर) के अलावा अन्य कहीं इलाज कराने हेतु विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिनिर्देशित(रिफर) किया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा सीएस(एमए) नियम 1944 के प्रतिमानकों के अनुसार सागर शहर के कुछ और चिकित्सा अधिकारियों को अधिकृत करनें की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों के नाम अलग से अधिसूचित किये जायेंगे।

सर्वसंबंधितों को सूचना एवं अनुपालन हेतु।

आदेशानुसार

कुलसचिव 23/3/2018.
डॉ हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, अनुभाग अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षकों को सूचना एवं अनुपालन हेतु एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना एवं अनुपालन हेतु नोट कराने हेतु
2. कुलपति महोदय के निज सचिव
3. कुलसचिव माहोदय के निजी सहायक

कुलसचिव 23/3/2018
डॉ हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

7

डॉक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

विश्वविद्यालय कार्यालय
Vishwavidyalaya Office, Sagar, MP 470 003
E Mail- registrar31@rediffmail.com
Phone : 07582-264228, 264236 Fax -264236, 26416

No. : वित्त/2011-12/609 . **Dated : 06/05/2011**

परिपत्र

समस्त--स्कूल डीन, प्रशासनिक डीन, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु "परिवार" की परिभाषा निम्नानुसार है --

परिवार का अर्थ है कर्मचारी के --

1. पति / पत्नी (जैसा भी मामला हो)
2. माता--पिता (जिन्होंने गोद लिया हो वे माता--पिता भी शामिल हैं, किन्तु तब जन्मदाता माता--पिता शामिल नहीं होंगे। सौतेले माता--पिता शामिल नहीं होंगे। महिला कर्मचारी को विकल्प है कि वह माता--पिता या सास--ससुर में से एक को शामिल करे। यह विकल्प पूरी सेवा के दौरान एक बार बदला जा सकता है।)
3. बच्चे : इनमें कानूनी ढंग से गोद लिये बच्चे, सौतेले बच्चे और जिन बच्चों का पूरा भार वार्ड के तौर पर ले लिया हो, शामिल होंगे।
4. विधवा बहनें, विधवा पुत्रियाँ।
5. अवयस्क भाई (यदि पिता की आय रु 3500 / से कम हो और वे कर्मचारी के साथ रह रहे हों)।

स्पष्टीकरण :-- महिला परिवार पेंशनर अपने माता--पिता या सास--ससुर को विकल्प में नहीं शामिल कर सकती। कारण जब कार्ड जारी किया जाता है तो जो उसमें शामिल हो वही मृत्यु के बाद भी शामिल रहता है।

इलाज पर खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु आयु सीमा व अन्य विवरण :

1. पुत्र : जब वह अपनी कमाई शुरू कर दे -- या 25 साल आयु, जो भी पहले हो। (अविवाहित
2. पुत्री : जब उसका विवाह हो जाये या जब वह अपनी कमाई शुरू कर दे, दोनों स्थितियों में जो भी पहले आये -- बिना आयु सीमा के।
3. पुत्र जो स्थायी रूप से अशक्त हो -- (शारीरिक या मानसिक) -- कोई आयु सीमा नहीं।
4. आश्रित तलाकशुदा पुत्री या जो अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हो या अलग हो गई हो, विधवा पुत्री।
5. आश्रित तलाकशुदा बहन या जो अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हो या अलग हो गई हो, विधवा बहन -- आयु की कोई सीमा नहीं, किंतु कर्मचारी के पिता की आय रु 3500 / से कम हो और कर्मचारी के साथ रह रही हो)।
6. अवयस्क भाई -- वयस्क होने की आयु तक, किंतु कर्मचारी के पिता की आय रु 3500 / से कम हो। सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हों और कर्मचारी के साथ रह रहे हों)।

नोट : असक्तता का मतलब (1) अंधापन (2) निम्न दृष्टि (3) लैपरोसी (4) कम सुनना (5) लोकोमोटर असक्तता (6) मानसिक रिटार्डेशन (7) मानसिक बीमारी।

उक्त के अनुसार सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु उनके "हेल्थ कार्ड" बना जाना है, अतः वे अपने परिवार का विवरण निम्नानुसार फोटो सहित इस परिपत्र के जारी किये जाने के पन्द्रह दि के भीतर अनुभाग अधिकारी, लेखा एवं वित्त शाखा को जमा करें।

(कृ.प.उ.)

डॉक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

विश्वविद्यालय कार्यालय,
Vishwavidyalaya Office, Sagar. MP 470 003
E Mail- registrar31@rediffmail.com
Phone : 07582-264228, 264236 Fax -264236, 264163

कर्मचारी का नाम .... पद .... विभाग का नाम ....

क्र.	कर्मचारी एवं परिवार के सदस्यों के नाम	उम्र	संबंध	कर्मचारी व परिवार के सदस्यों का फोटो (चिपकायें)

कुलसचिव

प्रतिलिपि–
1. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के व उनके कार्यालय मे कर्मियों को सूचना हेतु।
2. कुलसचिव महोदय के निजी सहायक को व उनके कार्यालय मे कर्मियों को सूचना हेतु।
3. समस्त स्कूल / प्रशासनिक डीन, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त अधिकारी – उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को अवगत करा कर और सूचना इकट्ठी कर समय–सीमा के अंदर भिजवाने का कष्ट करें।
4. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव
(वित्त एवं लेखा)